[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 45/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘‘(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03** में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना आरंभ करता है, से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त व्यक्तियों को **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03** में विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1** में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।’’;

(ii) नियम 46 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''**46क. पूर्ति का बीजक-सह-बिल-** नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैररजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी पूर्तियों के लिए, एकल ''पूर्ति का बीजक-सह-बिल'' जारी कर सकेगा ।'';

(iii) नियम 54 के उपनियम (2) में,-

(क) ''कर बीजक'' शब्दों के स्थान पर, ''समेकित कर बीजक'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो'' शब्दों के पश्चात्, ''मास के अंत में मास के दौरान सेवाओं की पूर्ति के लिए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) नियम 62 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उस मास की पहली तारीख से, जो तिमाही का पहला मास नहीं है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, **प्ररूप जीएसटीआर-4** में तिमाही की उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसने धारा 10 के अधीन कर का संदाय किया है विवरणी प्रस्तुत करेगा और वह धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने से पूर्व तिमाही की अवधि के लिए उसे यथा लागू विवरणियां प्रस्तुत करेगा ।'';

(v) **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में ''देखें नियम 3(2)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''देखें नियम 3(3) और 3(3क)'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(vi) **प्ररूप जीएसटीआर-1** में सारणी 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

''6 शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			परिवहन बिल/निर्यात बिल		एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	सं0	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6क. निर्यात									
6ख. एसईजेड इकाइयों या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां									

6ग. माना गया निर्यात									
									'' ;

(vii) **प्ररूप जीएसटीआर-1क** में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

``4 **एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात**

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8
4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां							
4ख. माना गया निर्यात							
							'' ;

(viii) **प्ररूप जीएसटी आर-4** में, अनुदेश सं0 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं0 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी''।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 36/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 29 सितंबर, 2017, जो सा.का.नि. सं. 1214(अ) तारीख 29 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।